



2025:AHC:12327

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 1441 सन् 2026

अजय कुमार उर्फ अंशु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता
गुप्ता

: राम किशोर गुप्ता, शिव शंकर

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से आवेदक अजय कुमार उर्फ अंशु, मुकदमा अपराध संख्या 417 सन् 2025, अंतर्गत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता, थाना राठ, जनपद हमीरपुर में जमानत की प्रार्थना करता है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 स्वयं पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 13.10.2024 को आवेदक ने विवाह के मिथ्या आश्वासन पर उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया और दिल्ली ले जाकर एक माह तक अपने साथ रखा तथा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। तत्पश्चात आवेदक उसे अपने पैतृक घर ले गया, जहाँ तीन माह तक अपने साथ रखा तथा शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद पुनः उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिल्ली ले गया, जहाँ भी उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, और अचानक दिनांक 13.08.2025 को उसे छोड़ दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज कथनों में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाह के मिथ्या आश्वासन पर आवेदक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और बाद में उससे विवाह नहीं किया, तथापि पीड़िता बालिग एवं विवाहित महिला है जिसकी आयु लगभग 34 वर्ष है तथा उसके और उसके पति के मध्य विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। सम्पूर्ण अभियोजन कथन से प्रतीत होता है कि पीड़िता आवेदक के साथ संबंध में थी तथा उनके मध्य जो भी शारीरिक संबंध स्थापित हुए, वे सहमति से थे। अतः धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अवयव आकर्षित नहीं होते। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि आवेदक को झूठे एवं निराधार आरोपों तथा दुर्भावनापूर्ण आशय से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 19.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ताने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया तथा यह प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज कथनों से यह स्पष्ट है कि यह जानते हुए कि पीड़िता विवाहित महिला है और उसके पति के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, आवेदक ने विवाह के मिथ्या आश्वासन द्वारा उसे प्रलोभित कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। अतः धारा 69 भारतीय न्याय संहिता वर्तमान प्रकरण में लागू होती है और जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़िता विवाहित महिला है और उसके पति के साथ विवाद उत्पन्न हो चुके हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा आवेदक ने विवाह के मिथ्या आश्वासन द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, इस न्यायालय का मत है कि धारा 69 भारतीय न्याय संहिता वर्तमान प्रकरण में लागू होती है। अतः अपराध के कारित करने में आवेदक की सक्रिय भूमिका प्रतीत होती है और जमानत हेतु कोई आधार नहीं बनता।

7. तदनुसार, आवेदक अजय कुमार उर्फ अंशु का जमानत प्रार्थना-पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 19, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।